



## प्रेस नोट दिनांक 19-11-2025 कुर्की थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में जनपद में गैंगस्टर एकट के अंतर्गत अपराधियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
  - इसी क्रम में आज दिनांक 19-11-2025 को थाना रामगढ़ पुलिस टीम द्वारा थाना रसूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 442/2025, धारा 2/3 गैंगस्टर एकट से संबंधित गैंग लीडर 1. अलीशान उर्फ निदान उर्फ विकास भाई पुत्र मौहम्मद खान उर्फ लाला, 2. अभियुक्ता निदा पत्नी अलीसान उर्फ निदान उर्फ विकास भाई, निवासीगण बारह बीघा अब्बास नगर, थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद द्वारा लगातार अपराध कर अर्जित की गई **53,02,468.50 रुपये (कुल 53 लाख 02 हजार 468 रुपये)** की चल / अचल संपत्ति को आज धारा 14(1) अधिनियम, गिरोहबन्द एं असमाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत कुर्क किया गया है।
  - गैंगस्टर एकट में नामजद गैंग लीडर अलीशान उर्फ निदान उर्फ विकास भाई द्वारा द्वारा अवैध वसूली, ठगी, दस्तावेज फर्जीवाड़ा आदि अपराधों से भारी मात्रा में अवैध धन अर्जित कर चल/अचल संपत्तियाँ खरीदी गईं थीं।
  - शातिर गैंगलीडर अभियुक्त अलीशान उर्फ निदान उर्फ विकास भाई पर गम्भीर अपराधों से सम्बन्धित करीब डेढ़ दर्जन अभियोग हैं पंजीकृत.....
  - गैंगलीडर की पत्नी निदा पर भी करीब डेढ़ दर्जन अभियोग हैं पंजीकृत.....
  - गैंगलीडर अभियुक्त अलीशान उर्फ निदान उर्फ विकास भाई द्वारा अपनी पत्नी निदा के साथ गम्भीर अपराध कारित कर अवैध धन / सम्पत्ति अर्जित की गयी है.....
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा गैंगस्टर एकट के तहत आदतन एवं संगठित होकर गम्भीर अपराधों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के नेतृत्व में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम मय राजस्व टीम द्वारा थाना रसूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 442/2025, धारा 2/3 गैंगस्टर एकट एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अलीशान उर्फ निदान उर्फ विकास भाई पुत्र मौहम्मद खान उर्फ लाला, 2. अभियुक्ता निदा पत्नी अलीसान उर्फ निदान उर्फ विकास भाई, निवासीगण बारह बीघा अब्बास नगर, थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद की **53,02,468.50 रुपये (कुल 53 लाख 02 हजार 468 रुपये)** की चल / अचल संपत्ति को आज धारा 14(1) अधिनियम, गिरोहबन्द एं असमाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत कुर्क किया गया है।

## गेंग लीडर अभियुक्त अलीशान उर्फ निदान उर्फ विकास भाई पुत्र मौहम्मद खान उर्फ लाला का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 222/2011 धारा 457/380/411 भादवि थाना तीस हजारी कोर्ट दिल्ली ।
- मु0अ0सं0 3425/2014 धारा 326/504 भादवि थाना नायदा टाउन दिल्ली ।
- मु0अ0सं0 639/2021 धारा 323/341/354/363 भादवि व 12 पोक्सो एक्ट थाना खन्जावाला दिल्ली ।
- मु0अ0सं0 967/2015 धारा 457/382/323 भादवि व 25/27 आर्स एक्ट तीस हजारी कोर्ट दिल्ली ।
- मु0अ0सं0 321/2025 धारा 305(क)/317(2)/112(2)/331(4) बीएनएस थाना रसूलपुर फिरोजाबाद ।
- मु0अ0सं0 244/2025 धारा 305(क)/317(2)/112(2)/331(4) बीएनएस थाना रसूलपुर फिरोजाबाद ।
- मु0अ0सं0 231/2025 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद ।
- मु0अ0सं0 223/2025 धारा 305(क)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
- मु0अ0सं0 248/2025 धारा 305/317(2)/317(5)331(4) बीएनएस थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद ।
- मु0अ0सं0 373/2025 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना उत्तर फिरोजाबाद ।
- मु0अ0सं0 310/2025 धारा 305(क)/317(2) बीएनएस थाना उत्तर फिरोजाबाद ।
- मु0अ0सं0 328/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना उत्तर फिरोजाबाद ।
- मु0अ0सं0 373/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना उत्तर फिरोजाबाद ।
- मु0अ0सं0 441/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना उत्तर फिरोजाबाद ।
- मु0अ0सं0 344/2025 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 317(2)/317(5) बीएनएस थाना रसूलपुर फिरोजाबाद ।
- मु0अ0सं0 199/2024 धारा 115/351(3)/64 बीएनएस थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद ।

## अभियुक्ता निदा पत्नी अलीसान उर्फ निदान उर्फ विकास भाई का आपराधिक इतिहास –

- मु0अ0सं0 321/2025 धारा 305 (क)/317 (2)/112 (2) बीएनएस थाना रसूलपुर फिरोजाबाद ।
- मु0अ0सं0 244/2025 धारा 305/317(2)/112 (2) बीएनएस थाना रसूलपुर फिरोजाबाद ।
- मु0अ0सं0 331/2025 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस रामगढ़ फिरोजाबाद।
- मु0अ0सं0 223/2025 धारा 305(क)/317(2) बीएनएस शिकोहाबाद फिरोजाबाद।
- मु0अ0सं0 248/2025 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस शिकोहाबाद फिरोजाबाद।
- मु0अ0सं0 273/2025 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस उत्तर फिरोजाबाद।
- मु0अ0सं0 310/2025 धारा 305(क)/317(2) बीएनएस थाना उत्तर फिरोजाबाद।
- मु0अ0सं0 328/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना उत्तर फिरोजाबाद।
- मु0अ0सं0 373/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना उत्तर फिरोजाबाद।
- मु0अ0सं0 441/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना उत्तर फिरोजाबाद।
- मु0अ0सं0 344/2025 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 317(2), 317(5) बीएनएस थाना रसूलपुर फिरोजाबाद ।

## गेंग लीडर अभियुक्त अलीशान उर्फ निदान उर्फ विकास भाई पुत्र मौहम्मद खान उर्फ लाला की अवैध रूप से अर्जित चल / अचल सम्पत्ति की कुर्क का विवरण:-

क्र0सं0	सम्पत्ति स्वामी का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	मूल्यांकन (रु0 में)
1	निदा पत्नी अलीशान उर्फ निदान उर्फ विकास भाई व	एक बना हुआ आवासीय मकान मौहल्ला बारह बीघा अब्बास नगर	52,27,468.50/-

	निसा उम्र 02 वर्ष पुत्री अलीशान उर्फ निदान उर्फ विकास भाई	थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद क्षेत्रफल 93 वर्गमीटर	
2	निदा पत्नी अलीशान उर्फ निदान उर्फ विकास भाई	मोटर साइकिल बजाज पल्सर 150 सीसी UP83BR8649	75,000/-
कुल योग			<b>53,02,468.50 रुपये</b> <b>(कुल 53 लाख 02 हजार 468 रुपये)</b>